क्रम संख्या–63

अर्द्ध–शा० प० सं०–1657/तैंतालिस–1-96-22(12)/96

माता प्रसाद
मुख्य सचिव

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–1
उत्तर प्रदेश शासन।

लखनऊ : दिनांक : 08, जुलाई 1996

प्रिय महोदय,

एक लोक कल्याणकारी राज्य में शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। उसे आम जनता की भलाई तथा उनके हितलाभ के लिए कार्य करना होता है। जनता की संतुष्टि ही शासन एवं प्रशासन की सफलता का मापदंड होता है। आज यह देखा जा रहा है कि बहुधा आम जनता को उन योजनाओं/कार्यक्रम की जानकारी नहीं होती जो राज्य सरकार द्वारा उनके लाभ एवं हित के लिए चलाये जाते हैं। शासन के विभागों द्वारा लोगों को इस बात की जानकारी नहीं दी जाती कि शासन द्वारा उनके लाभ के लिए कौन सी योजनायें/कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं तथा क्या सुविधांए उपलब्ध कराई जा रही है। शासकीय कार्य प्रणाली एवं जनता के बीच एक परदा बना रहता है।

2—जब जनसामान्य के हित–लाभ के लिए कार्य किये जाने हैं तो शासकीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता का होना अत्यन्त आवश्यक है। जनता को इस बात की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए कि शासन/प्रशासन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उनके लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं तथा कौन सी योजनायें/कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। उन योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए पात्रता क्षेत्र क्या है और उस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की प्रणाली निर्धारित की गई है। शासन के कार्यकलापों में इस प्रकार की पारदर्शिता होनी आवश्यक है कि विभिन्न विकास योजनाओं के अन्तर्गत जैसे ग्राम्य विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सिंचाई, मार्ग/सड़क/पुल निर्माण, पेयजल आपूर्ति, विद्युत कनेक्शन, पशुधन विकास, आवास, उद्योग आदि अनेक क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत हुई, उससे कहाँ–कहाँ, क्या-क्या कार्य होने हैं, उन कार्यों के सम्पादन के लिए गुणवत्ता, मानक एवं मापदंड, लागत धनराशि, समय सीमा आदि क्या निर्धारित की गई है। साथ ही साथ निर्माणाधीन एवं पूर्ण किये गये कार्यों के सम्बन्ध में भी जनता को जानकारी होनी चाहिए।

3—स्थिति के उक्त परिप्रेक्ष्य में मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि शासकीय कार्यप्रणाली में पूर्ण पारदर्शि लाई जाय जिसके लिए आवश्यक है कि जो विभिन्न जनहित के कार्य किये जाने है अथवा किये जा रहे हों अथवा पूरे कि गये हों उनकी जानकारी सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से जनता को दी जाय.। साथ-साथ क्षेत्र विशेष जनप्रतिनिधियों जैसे संसद/विधानमण्डल के सदस्यों, जिला पंचायत के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्यों, क्षेत्र पंचायत के प्रमुखों/ प्रमुखों एवं सदस्यों तथा ग्राम पंचायत के प्रधान को दी जानी चाहिए। सूचना विभागीय जिला, विकास खण्ड तथा ग्र स्तरीय अधिकारियों/कृत्यों अधिकारियों के माध्यम से दी जानी चाहिए ताकि प्रत्येक कार्य तथा उसकी गुणवत्ता की लोगों भलीभांति जानकारी हो सके और वे उन कार्यों के कार्यान्वयन पर निगाह रख सकें। किसी कार्य/कार्यक्रम/योजना कार्यान्वयन में जनता/जनप्रतिनिधियों द्वारा यदि कोई त्रुटि/कमी या गड़बड़ी की शिकायत की जाती है तो विभाग विशेष अन्तर्गत उन शिकायतों के त्वरित निराकरण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

4–विभिन्न विभागों के जनपदीय/तहसील/ब्लाक स्तरीय कार्यालयों में नोटिस बोर्डों पर प्रमुख कार्यक्रमों/कार्यों वं अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि, लक्ष्य एवं उपलब्धि, मानक एवं मापदण्ड आदि के बारे में सूचना प्रदर्शित की जाए तथा बुकलेट्स एवं पम्पलेट्स के माध्यम से विस्तृत जानकारी देना सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,
माता प्रसाद

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

अर्द्धशा०प०सं०–1657(1)/तैंतालिस–1–96, तद्दिनांक

प्रिय महोदय,

उपरोक्त की प्रतिलिपि आपको भी प्रेषित करने की अपेक्षा की गई है।

भवदीय,
माता प्रसाद

समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश